

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**

क्रमांक: प.22(4)न्याय/2015

जयपुर, दिनांक 4.1.19

**::आदेश::**

राजस्थान विधि सेवा संवर्ग एवं राजस्थान विधि रचना सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

**(अ.) राजस्थान विधि सेवा**

**वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी**

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	चन्द्रवीर सिंह रत्नावत	15.09.1959	30.09.2019

**संयुक्त विधि परामर्शी**

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	हजारी राम ज्याणी	15.08.1959	31.08.2019
2.	बालेन्द्र पाण्डेय	31.01.1960	31.01.2020
3.	नरेन्द्र नाथ शर्मा	18.11.1959	30.11.2019
4.	प्रमोद कुमार कौशिक	16.11.1959	30.11.2019

**उप विधि परामर्शी**

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	विनोद कुमार अग्रवाल	05.11.1959	30.11.2019
2.	विजय प्रसाद शर्मा	01.05.1959	30.04.2019
3.	काशीराम	04.01.1960	31.01.2020
4.	महेश चन्द शर्मा	20.05.1959	31.05.2019


**(ब.) राजस्थान विधि रचना सेवा**

**उप सचिव**

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	श्री उत्तम चन्द शर्मा	17.04.1960	30.04.2020


यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

  
(मधुसूदन शर्मा)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
3. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(4)न्याय/2015


जयपुर, दिनांक 4-1-19

::आदेश::

राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के अधिकारी श्री नरेन्द्र श्याम नवल, सहायक विधि परामर्शी जन्म दिनांक 10.07.1959 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर दिनांक 31.07.2019 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 अधीन विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

  
(मधुसूदन शर्मा)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री नरेन्द्र श्याम नवल, सहायक विधि परामर्शी।
3. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त शासन सचिव